राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 137/2017

श्रीमती नीलम शर्मा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, पी.डब्ल्यू.डी., राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
3. अधिशाषी अभियंता (मुख्यालय), सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 30.01.2017
आदेश की दिनांक : 22.10.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री सत्यपाल चांदोलिया, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी के वेतनमान का निर्धारण कर समस्त वेतन/भत्ते आदि का पुनर्निधारण कर सम्पूर्ण राशि मय ब्याज भुगतान किये जाने के आदेश फरमाये जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार है :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति 20.04.1979 को कार्यप्रभारी प्रयोगशाला सहायक के पद पर हुई थी और

आदेश दिनांक 30.06.1982 के द्वारा अपीलार्थी को अर्द्धस्थायी घोषित किया गया और दिनांक 20.04.1982 से अपीलार्थी को अर्द्धस्थायी घोषित किया गया। तदुपरांत दिनांक 13.04.1993 के आदेश द्वारा अपीलार्थी को लैब ऑपरेटर के पद पर नियमित चयन कर नियुक्ति प्रदान की गई, जिसकी पालना में अपीलार्थी ने दिनांक 21.04.1993 को कार्यभार ग्रहण किया और 9 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर उसे दिनांक 21.04.2002 को प्रथम चयनित वेतनमान का लाभ दिया गया, जिसकी गणना दिनांक 21.04.1993 से करते हुये प्रदान की गई। 18 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर द्वितीय चयनित वेतनमान दिनांक 15.04.2011 को दिया गया और अपीलार्थी दिनांक 31.10.2016 को राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो गई। अपीलार्थी द्वारा कई बार प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करने के पश्चात् दिनांक 21.04.1981 से अर्द्धस्थायी होकर अपना कार्य करती रही। इसलिये दिनांक 21.04.1981 से प्रथम चयनित वेतनमान का लाभ दिया जाना चाहिये। परंतु दिनांक 21.04.1983 से अपीलार्थी को लाभ दिया गया। अपीलार्थी के सेवाकाल के अनुसार उसे तृतीय वेतन श्रृंखला का लाभ दिनांक 21.04.2008 से नहीं दिया गया। जबकि अपीलार्थी नियमानुसार उक्त दिनांक से तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ प्राप्त करने की अधिकारी थी। राज्य सरकार के वित्त विभाग के पत्र दिनांक 30.09.1998 के बिंदु संख्या 5 में स्पष्ट उल्लेख है कि *''यदि अर्द्धस्थायी घोषित करने के बाद किसी कार्मिक दूसरे पद पर जो अर्द्धस्थायी पद का नियमित पद नहीं है, नियुक्ति दी गई हो तथा ऐसी नियुक्ति पर उसे अर्द्धस्थायी घोषित पद के मूल वेतन की तुलना में अधिक मूल वेतन स्वीकृत किया गया हो तो उसकी प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चयनित वेतनमान के लिये क्रमशः 9, 18 एवं 27 वर्ष की सेवा की गणना बाद में दी गई नियुक्ति की तारीख से की जावेगी तथा बाद में दी गई नियुक्ति वाले पद को आधार मानते हुये चयनित वेतनमान स्वीकृत किये जायेंगे।''* अपीलार्थी के प्रकरण में प्रयोगशाला सहायक के पद से लैब ऑपरेटर के पद पर नियुक्ति दी गई है व नियमित पदोन्नति नहीं है और न ही मूल वेतन की तुलना में अधिक मूल वेतन स्वीकृत किया गया है। अतः उक्त बिंदु संख्या 5 के आधार पर समायोजित पद के मूल वेतन की तुलना में कोई बढोतरी नहीं होने के कारण समायोजित पद के तुरंत पहले वाले पद पर अर्द्धस्थायी घोषित करने की दिनांक 21.04.1981 से 9, 18 एवं 27 वर्ष की सेवा की गणना किया जाना

अतिआवश्यक है। परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अर्द्धस्थायी घोषित करने की दिनांक से गणना नहीं की गई, जो उक्त नियमों के विपरीत है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी के वेतनमान का निर्धारण कर समस्त वेतन/भत्ते आदि का पुनर्निधारण कर सम्पूर्ण राशि मय ब्याज भुगतान किये जाने के आदेश फरमाये जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुये प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी की नियुक्ति दिनांक 20.04.1979 को प्रयोगशाला सहायक के पद पर हुई और दिनांक 03.06.1982 के द्वारा उसे अर्द्धस्थायी घोषित किया गया। आदेश दिनांक 13.04.1993 के द्वारा अपीलार्थी को नियमित चयन कर लैब ऑपरेटर के पद पर नियुक्ति दी गई तथा दिनांक 21.04.1993 को अपीलार्थी ने कार्यग्रहण किया और 9 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर दिनांक 21.04.1993 से गणना करते हुये दिनांक 21.04.2002 को प्रथम चयनित वेतनमान एवं 18 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर दिनांक 21.04.2011 को द्वितीय चयनित वेतनमान स्वीकृत किया गया और दिनांक 31.10.2016 को अपीलार्थी सेवानिवृत्त हो गया। अपीलार्थी को अर्द्धस्थायी दिनांक 20.04.1981 से 9, 18 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर लाभ न देकर लैब ऑपरेटर के पद पर उपस्थित दिनांक 21.04.1993 से गणना करते हुये 9 एवं 18 वर्ष की सेवा पर चयनित वेतनमान का लाभ स्वीकृत किया गया क्योंकि अपीलार्थी वर्कचार्ज सेवा में नहीं रही। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति 20.04.1979 को कार्यप्रभारी प्रयोगशाला सहायक के पद पर हुई थी और आदेश दिनांक 30.06.1982 के द्वारा अपीलार्थी को अर्द्धस्थायी घोषित किया गया और दिनांक 20.04.1982 से अपीलार्थी को अर्द्धस्थायी घोषित किया गया। तदुपरांत दिनांक 13.04.1993 के आदेश द्वारा अपीलार्थी को लैब ऑपरेटर के पद पर नियमित चयन कर नियुक्ति प्रदान की गई, जिसकी पालना में

अपीलार्थी ने दिनांक 21.04.1993 को कार्यभार ग्रहण किया और 9 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर उसे दिनांक 21.04.2002 को प्रथम चयनित वेतनमान का लाभ दिया गया, जिसकी गणना दिनांक 21.04.1993 से करते हुये प्रदान की गई। 18 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर द्वितीय चयनित वेतनमान दिनांक 15.04.2011 को दिया गया और अपीलार्थी दिनांक 31.10.2016 को राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो गई। जहां तक अपीलार्थी को प्रयोगशाला सहायक के पद पर अर्द्धस्थायी घोषित दिनांक 20.04.1982 से सेवा की गणना करते हुये प्रथम एवं द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ नहीं दिये जाने का प्रश्न है, हम प्रत्यर्थी विभाग के इस तर्क से सहमत हैं कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति प्रयोगशाला सहायक के पद पर दिनांक 20.04.1979 को हुई और उसे दिनांक 20.04.1981 को अर्द्धस्थायी घोषित किया गया। परंतु आदेश दिनांक 13.04.1993 के द्वारा अपीलार्थी को नियमित चयन कर लैब ऑपरेटर के पद पर नियुक्ति दी गई तथा दिनांक 21.04.1993 को अपीलार्थी ने कार्यग्रहण किया और 9 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर दिनांक 21.04.1993 से गणना करते हुये दिनांक 21.04.2002 को प्रथम चयनित वेतनमान एवं 18 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर दिनांक 21.04.2011 को द्वितीय चयनित वेतनमान स्वीकृत किया गया। यह भी उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार के वित्त विभाग (व्यय–3 डिवीजन) द्वारा जारी आदेश दिनांक 30.09.1998 द्वारा कार्यप्रभारित कर्मचारियों एवं कार्यधारित कर्मचारियों से नियमित हुये कर्मचारियों को 9, 18 एवं 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर चयनित वेतनमान का लाभ दिये जाने के संबंध में निम्नलिखित प्रावधान किया गया है :–

> *''यदि अर्द्धस्थायी घोषित करने के बाद किसी दूसरे पद पर, जो अर्द्धस्थायी पद का नियमित पदोन्नति पद नहीं है, नियुक्ति दी गई हो तथा ऐसी नियुक्ति पर उसे अर्द्धस्थायी घोषित पद के मूल वेतन की तुलना में अधिक मूल वेतन स्वीकृत किया गया हो तो उसकी प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चयनित वेतनमानों के लिये क्रमशः 9, 18 एवं 27 वर्ष की सेवा की गणना बाद में दी गई नियुक्ति की तारीख से की जावेगी तथा बाद में दी गई नियुक्ति वाले पद को आधार मानते हुये चयनित वेतनमान स्वीकृत किये जायेंगे।''*

अपीलार्थी की नियुक्ति पूर्व में लैब असिसटेंट के पद पर हुई और उसे अर्द्धस्थायी घोषित किया गया। तदुपरांत अपीलार्थी को लैब ऑपरेटर के पद पर नियमित नियुक्ति हुई, परंतु अपीलार्थी का मूल वेतन समान ही है। इस प्रकार हमारे मत में अपीलार्थी का मूल वेतन समान होने के कारण चयनित वेतनमान दिये जाने के संबंध में उसकी सेवाओं की गणना अर्द्धस्थायी घोषित होने की दिनांक से ही

किया जाना उचित प्रतीत होता है। इस प्रकार उपरोक्तानुसार अपीलार्थी अर्द्धस्थायी घोषित होने की दिनांक से ही प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ 9, 18 एवं 27 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर प्राप्त करने की अधिकारी है। अतः उक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जाते हैं कि यदि लैब असिसटेंट एवं लैब ऑपरेटर का वेतनमान समान है तो उक्त वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 30.09.1998 को ध्यान में रखते हुये अपीलार्थी की सेवाओं की गणना अर्द्धस्थायी घोषित होने की दिनांक से करते हुये 9, 18 एवं 27 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ प्रदान किया जावे।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष